दिनांक- 06.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 306/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 06.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 06.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 307/26

महोबा पुलिस

कानून-व्यवस्था एवं बैंकिंग सुरक्षा के दृष्टिगत महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया बैंक चेकिंग अभियान...।

- आज दिनांक 06.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन में, रविवार की साप्ताहिक अवकाश के उपरांत सोमवार को बैंक खुलते ही जनपद महोबा में बैंक चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान बैंकिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से संचालित किया गया।
- अभियान के दौरान महोबा पुलिस द्वारा बैंकों के अंदर एवं बाहर संदिग्ध व्यक्तियों, बैंक में आने-जाने वाले ग्राहकों तथा वाहनों की सघन जांच की गई। साथ ही बैंक परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, सुरक्षा गार्डों की तैनाती एवं अन्य सुरक्षा प्रबंधों का भी निरीक्षण किया गया।
- पुलिस अधिकारियों द्वारा बैंक प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।
- इसी क्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में बैंक चेकिंग की गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच की गई तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सुरक्षा एवं सतर्कता के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही आमजन को साइबर ठगी से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देकर जागरूक किया गया।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग लेन-देन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। महोबा पुलिस द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

दिनांक- 06.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 308/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना चरखारी पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में म0उ0नि0 नेहा विश्वकर्मा मय हमराह रि0का0 शिवांशु दुबे व रि0का0 मिलिन्द कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 142/26 धारा 69 बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त साहिल पुत्र फरीद खाँ, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी मुहल्ला भैरोगंज कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा को लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर के पास वहद कस्बा चरखारी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

साहिल पुत्र फरीद खाँ, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी मुहल्ला भैरोगंज कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. म0उ0नि0 नेहा विश्वकर्मा
2. रि0का0 शिवांशु दुबे
3. रि0का0 मिलिन्द कुमार

दिनांक- 06.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 309/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम द्वारा चोरी के मोबाइल फोन के साथ वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, न्यायालय भेजा गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में वरि0उ0नि0 श्री कन्हैयालाल एवं उ0नि0 अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा धवार मोड़ पर बने प्रतीक्षालय से मु0अ0सं0 72/2026 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त दीपक कपाडिया पुत्र मूलचन्द्र कपाडिया उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मोहल्ला गोविन्द नगर कुलपहाड़ थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद चोरी का ITEL मोबाइल फोन A90 मॉडल (IMEI नं0 1- 3532391602277459, IMEI नं0 2- 353291608261515) बरामद किया गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. वरि0उ0नि0 कन्हैयालाल, थाना महोबकंठ
2. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह, थाना महोबकंठ

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से चोरी का एक अदद ITEL मोबाइल फोन A90 मॉडल (उपरोक्त IMEI नंबर सहित)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 72/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

दिनांक- 06.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 310/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कुल ₹4000 नगदी व 52 ताश पत्ते बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, श्रीमती वन्दना सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के पर्यवेक्षण एवं श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी चरखारी के कुशल नेतृत्व में जनपद में चलाये जा रहे अभियान (वांछित/वारंटी अभियुक्त गिरफ्तारी तथा अवैध शराब/जुआ/गांजा/अवैध शस्त्र के विरुद्ध) के क्रम में थाना चरखारी पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गयी।

उक्त अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 06.07.2026 को शमशान घाट के हाल के पास, कस्बा चरखारी से 04 अभियुक्तों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना चरखारी में मु0अ0सं0 144/2026 धारा 13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. रामकुमार उर्फ गंगाप्रसाद पुत्र रामभरोसी, उम्र 20 वर्ष, निवासी मोहल्ला मड़वासन, कस्बा/थाना चरखारी, जनपद महोबा
2. सरफराज पुत्र नफीस, उम्र 31 वर्ष, निवासी मोहल्ला मड़वासन, कस्बा/थाना चरखारी, जनपद महोबा
3. मुन्ना पुत्र सिद्दा, उम्र 55 वर्ष, निवासी मोहल्ला चिंतेपुरा, कस्बा/थाना चरखारी, जनपद महोबा
4. इमरान खान पुत्र निसार खान, उम्र 38 वर्ष, निवासी मोहल्ला तुर्कियाना, कस्बा/थाना चरखारी, जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण-

- मालफड़ – ₹3150/-
- 52 अदद ताश पत्ते
- जामा तलाशी से ₹850/-

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 विशाल बाजपेई
- हे0का0 महेन्द्र कुमार गौतम
- रि0का0 शिवांशु द्विवेदी